वाद पत्रं स.39/2019
जगदीश आदि बनाम कैलाश देवी आदि
निर्णय दिनांक 18.10.22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 39/2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00675

1. जगदीश पुत्र श्री हरिराम उम्र 40वर्ष जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम उम्र 42 वर्ष जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

– बनाम –

1. कैलाश देवी पत्नी भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा ढाढोत कलां
3. संतरा पत्नी श्री सवाई सिंह
4. महेन्द्र सिंह
5. सत्यवीर सिंह पुत्रान सवाई सिंह नवीरा छतूसिंह
6. रमेश सिंह
7. मुकेश सिंह पुत्रान बहादुर सिंह नवीरा छतूसिंह
8. मिन्टू सिंह पुत्र श्री लीलूसिंह नवीरा छतूसिंह
9. मनोज पुत्री लीलूसिंह नवीरा छतूसिंह
10. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री छतूसिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा
11. मुन्नी पत्नी जगरूप सिंह
12. बलवीर सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह निवासी चितौसा
13. गुडडी उर्फ अनिता पुत्री जगरूप सिंह नवीरा माडूसिंह निवासी चितौसा
14. भागोडी उर्फ सुनिता पुत्री जगरूप सिंह नवीरा माडूसिंह निवासी चितौसा
15. लाली उर्फ सुमन पुत्री जगरूप सिंह नवीरा माडूसिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा
16. बिमला पत्नी मुन्शीसिंह
17. दलीप सिंह पुत्र श्री मुन्शीसिंह
18. अन्नू पुत्री मुन्शी सिंह
19. संजय पुत्र रिछपाल
20. मंजू पुत्री रिछपाल नवीरा मालसिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा तह. बुहाना
21. राजकुमारी पत्नी मोहन सिंह
22. विजय सिंह
23. श्रवण सिंह पुत्रान मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा तह. बुहाना
24. रामनिवास पुत्र श्री ख्यालीराम जाति अहीर निवासी पुहानिया
25. संदीप पुत्र श्री ख्यालीराम जाति अहीर निवासी पुहानिया तह. बुहाना
26. लैण्ड होल्डर एवं तहसीलदार भू. अभिलेख बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा – घोषणात्मक , स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती।

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादीगण के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–: निर्णय :–

दिनांक – 18/10/22

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद पत्र – घोषणात्मक इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि :–

1. यह कि वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी ख.न. 170 रकबा 0.90 रकबा ख.न. 171 रकबा 0.36 हैक्टर ख.न. 307 रकबा 0.93 हैक्टर ख.न.308 रकबा 0.94 हैक्टर किता 4 रकबा 3.13 हैक्टर में झब्बूसिंह पुत्र श्री गणपत सिंह हिस्सा 1/4 , छतुसिंह , माडुसिंह , मालसिंह पुत्र श्री रिगसिंह व मोहन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह नवीरा रिघसिंह का 3/4 हिस्सा था अर्थात माडुसिंह का 3/16 हिस्सा छतुसिंह का 3/16 हिस्सा मालसिंह का 3/16 हिस्सा एवं मोहन सिंह का 3/16 हिस्सा था माडुसिंह के वारीसान मे उसका एक मात्र पुत्र जगरूप सिंह था। जिसके वारीसान प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 हैं। छतुसिंह के वारीसान प्रतिवादी स. 3 लगायत 5 का हकपूर्वाधिकारी सवाईसिंह प्रतिवादी स. 7 लगायत 9 का हकपूर्वाधिकारी बहादुरसिंह एवं प्रतिवादी स. 10 का राजेन्द्र सिंह था खातेदार भवंर सिंह पुत्र मालसिंह नाऔलाद फौत हो चुका हैं। जिसके वारीसान प्रतिवादी स. 16 लगायत 20 हैं। तथा मोहन सिंह की मृत्यु हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 21 लगायत 23 उसके वारीसान हैं। प्रतिवादी स. 24 व 25 ने इस मे से 1/14 – 1/14 हिस्सा खरीद किया हैं।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 मे वर्णित भूमी में से खातेदार झबूसिंह का 1/4 हिस्सा वादीगण ने दिनांक 05.02.1992 को जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र 1/4 हिस्सा खरीद किया था जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम 1/4 हिस्सा नामान्तरकरण स. 51 के जरिए दर्ज हो चुकी हैं।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 मे वर्णित भूमी किता 4 रकबा 3.13 हैंक्टर मे से 1/8 हिस्सा अर्थात् 0.39 हैक्टर रकबा वादीगण ने खातेदार माडूसिंह जो प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 का हकपूर्वाधिकारी था उससे दिनांक 07.02.1992 को पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद लिया एवं काबिज हो गया लेकिन इसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नही हुई उसके बाद माडूसिंह की मृत्यु हो गई व उसके स्थान पर उसका पुत्र जगरूप सिंह का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया एवं वादीगण का नाम इस भूमी की खातेदारी मे दर्ज नही हुआ ।
4. यह कि खातेदार भंवर सिंह पुत्र मालसिंह की नाऔलाद अविवाहित मृत्यु हो चुकी हैं उसके वारीसान भी छतुसिंह व [illegible] माडूसिंह का इस भूमी में 1/4 हिस्सा छतूसिंह का 1/4 एवं मोहन सिंह का [illegible] हुआ इस प्रकार इस भूमी में 1/4 हिस्सा झब्बू सिंह का 1/4 हिस्सा छतुसिंह [illegible] 4 हिस्सा माडूसिंह व 1/4 हिस्सा मोहन सिंह का रहा जिसमें [illegible] 8 हिस्सा वादीगण को बेचान कर दिया एवं कब्जा भी दे [illegible] काबिज हैं लेकिन माडूसिंह की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

के बाद उसका हिस्सा उसके पुत्र जगरूप सिंह के नाम दर्ज हुआ जिसमें अपने हिस्से मे अपने नाम दर्ज रकबा मे से 0.44 हैक्टर रकबा अर्थात् 11/78 हिस्सा का बेचान प्रतिवादी स. 1 को कर दिया जिसके हिस्से मे शेष 0.34 हैक्टर रकबा बचा हैं जो वादीगण का हैं क्योकि वादीगण ने माडुसिंह से उसका 1/8 हिस्सा पहले खरीद लिया था लेकिन वादीगण के नाम दर्ज नही हुआ जगरूप सिंह ने जो रकबा बेचान किया तथा उसकी खातेदारी भी प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज हो गई हैं। अब प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के नाम 17/156 हिस्सा अर्थात् 0.34 हैक्टर रकब दर्ज हैं। जो वादीगण का हैं जिस पर वादीगण काबिज हैं लेकिन यह भूमी बेचान करने के बावजूद प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के नाम दर्ज हैं जबकि वादीगण खरीद करने के दिन ही इसके खातेदार बन गये थें इस प्रकार वाद वर्णित भूमी में प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के हकपूर्वाधिकारी के नाम दर्ज 17/156 हिस्सा (0.34 हैक्टर रकबा) वादीगण का हैं इसमें प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 का अब कोई हिस्सा नही हैं अर्थात् उनके नाम दर्ज 17/156 हिस्सा उनका नही हैं वह वादीगण का हैं। प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 या उनके हकपूर्वाधिकारी का नाम हजफ किये जाने योग्य हैं।

5. यह कि वादीगण ने वाद वर्णित भूमी का 1/8 हिस्सा पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद किया हैं एवं उस पर काबिज हैं लेकिन राजस्व कर्मचारीयो की गलती एवं लापरवाही से वादीगण के नाम विक्रय पत्र दिनांक 07.02.1992 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ हैं इसलिए वादीगण के लिए अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।
6. यह कि वाद वर्णित भूमी में वादीगण का प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के नाम दर्ज 17/156 हिस्सा हैं लेकिन इसमें वादीगण का नाम दर्ज नही होने से प्रतिवादी स.11 लगायत 15 इसे अपने नाम दर्ज करवाकर इसको रहन , बेचान ,गिरवी, दान या हस्तानान्तरित करने पर आमादा हैं यदि वे ऐसा कर देगे तो वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा इसलिए वादीगण के लिए अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।
7. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमी वादीगण की खरीदशुद्धा काबिज होने एवं इसकी खातेदारी प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के हकपूर्वाधिकारी के नाम दर्ज होने एवं उनके द्वारा रहन , बेचान , गिरवी करने पर आमादा होने से पैदा हुआ हैं अतः दावा अन्दर मियाद हैं।
8. यह कि वाद वर्णित भूमी वाके ग्राम चितौसा तहसील बुहाना में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
9. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/-रू. दावा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/-रू. , दावा रिकॉर्ड दुरूस्ति के लिए 1/-रू. कोर्ट फीस अर्थात् दावा कुल 3/-रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।
10. यह कि वाद वर्णित भूमी का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :-

(क).कि वाके ग्राम चितोसा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 170 रकबा 0.90 रकबा ख.न. 171 रकबा 0.36 हैक्टर ख.न. 307 रकबा 0.33 हैक्टर ख.न. 308 रकबा 0.94 हैक्टर किता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रकबा 3.13 हैक्टर में वादीगण को प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के हकपूर्वाधिकारी के नाम दर्ज 17/156 हिस्सा (0.34 हैक्टर रकबा) का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के हकपूर्वाधिकारी का या प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 का नाम दर्ज होने पर उनका नाम हजफ कर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने कि कृपा करे।

(ख). कि प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम चितोसा तहसील बुहाना स्थित भूमी ख.न. 170 रकबा 0.90 रकबा ख.न. 171 रकबा 0.36 हैक्टर ख.न. 307 रकबा 0.93 हैक्टर ख.न.308 रकबा 0.94 हैक्टर किता 4 रकबा 3.13 हैक्टर के किसी भी भाग को दान, रहन, बेचान, गिरवी, हस्तानान्तरित नही करें। तथा प्रतिवादी स. 26 को भी जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 द्वारा प्रस्तुत किसी भी विलेख को पंजिकृत नही करें तथा ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना ही अपने मातहत अधिकारी या कर्मचारी से करवाये।

(ग). कि दावा वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण जिसके वाजिब हकदार हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई वादी की और से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू 1 जगदीश को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1 लगायत 11 प्रस्तुत किये मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 05.02.1992 के वादी सत्यपाल एवं जगदीश पुत्रान हरिराम निवासी पुहानिया ने ग्राम चितौसा स्थित भूमि खसरा न. 170, 171, 307 ,308 किता 4 रकबा 3.13 हैक्टर में झब्बूसिंह पुत्र गणपत सिंह से 1/4 हिस्सा की भूमि पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद की हैं। तथा मुताबिक विक्रय पत्र प्रदर्श 1 दिनांक 07.02.1992 के ग्राम चितौसा स्थित भूमि खसरा न. 170, 171, 307 ,308 किता 4 रकबा 3.13 हैक्टर में वादीगण ने माडूसिंह पुत्र रिद्धसिंह का 1/4 हिस्सा खरीद किया है। उक्त दोनो विक्रय पत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं। मुताबिक वादीगण खातेदार भवंर सिंह पुत्र मालसिंह नाऔलाद सिंह फौत हो गया जिसके वारीसान छतुसिंह एवं माडुसिंह ही थें। इसलिए इस भूमि में माडूसिंह का 1/4 हिस्सा एवं छतुसिंह का 1/4 हिस्सा हैं उसके बाद वादीगण का यह भी निवेदन हैं कि माडुसिंह जो वादीगण का विक्रेता था उसकी मृत्यु के बाद उसका हिस्सा उसके पुत्र जगरूप सिंह के नाम दर्ज हुआ जिसमे से उसने प्रतिवादी स.1 को 0.44 अर्थात् 11/78 हिस्सा बेचान कर दिया एवं उसके हिस्से में 0.34 हैक्टर रकबा शेष हैं। प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 उसके वारीस हैं। जिनके नाम 17/156 हिस्सा दर्ज रहा लेकिन यह रकबा वादीगण का हैं। मुताबिक जमाबन्दी उक्त प्रतिवादी स.11 लगायत 15 के नाम मुताबिक जमाबन्दी प्रदर्श 3 जगरूप सिंह पुत्र माडुसिंह के नाम 0.34 रकबा दर्ज हैं। तथा इन्तकाल न. 51 के जरिए वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 05.02.1992 के द्वारा झब्बूसिंह के 1/4 हिस्से के खातेदार दज हो चुके हैं लेकिन माडुसिंह द्वारा बेचान किये गये विक्रय पत्र प्रदर्श 1 के आधार पर उनके नाम खातेदारी दर्ज नही हैं। वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 11 के अनुसार [illegible] त्री जगरूप सिह, बलवीर सिंह पुत्र जगरूप सिह, सुनिता ए[illegible] के प्रत्येक के नाम 17/780 – 17/780 हिस्सा दर्ज हैं अर्थात् [illegible] जगरूप [illegible] के वारीसान के नाम 85/770 हिस्सा दर्ज हैं। जो उनके हकपूर्वाधिकारी के द्वारा बेचान करने के बावजूद भी दर्ज हैं एवं वादीगण ने यह भूमि जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र उन[illegible] हकपूर्वाधिकारी माडूसिंह से खरीद ली हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

इसलिए प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 जो माडूसिंह के वारीसान हैं उनके स्थान पर वादीगण बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किये जाने जाने योग्य हैं। इसलिए वादीगण का दावा पत्रावली पर उपलब्ध एवं दस्तावेजी साक्ष्य से डिक्री योग्य हैं।

— :: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कि वाके ग्राम चितोसा तहसील बुहाना स्थित भूमी ख.न. 170 रकबा 0.90 रकबा ख.न. 171 रकबा 0.36 हैक्टर ख.न. 307 रकबा 0.93 हैक्टर ख.न.308 रकबा 0.94 हैक्टर किता 4 रकबा 3.13 हैक्टर में वादीगण को प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के स्थान पर 85/780 अर्थात् 17/156 हिस्सा का खातेदार घोषित कर अनिता , सुनिता , सुमन पुत्री जगरूप सिंह एवं मुन्नी देवी पत्नि जगरूप सिंह , बलवीर पुत्र जगरूप सिंह का नाम हजफ कर रिकॉर्ड दुरूस्त कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र स.39/2019
जगदीश आदि बनाम कैलाश देवी आदि
निर्णय दिनांक 18/10/22

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 39/2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00675

1. जगदीश पुत्र श्री हरिराम उम्र 40वर्ष जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. सत्यपाल पुत्र श्री हरिराम उम्र 42 वर्ष जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

– बनाम –

1. कैलाश देवी पत्नी भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा ढाढोत कलां
3. संतरा पत्नी श्री सवाई सिंह
4. महेन्द्र सिंह
5. सत्यवीर सिंह पुत्रान सवाई सिंह नवीरा छतूसिंह
6. रमेश सिंह
7. मुकेश सिंह पुत्रान बहादुर सिंह नवीरा छतूसिंह
8. मिन्टू सिंह पुत्र श्री लीलूसिंह नवीरा छतूसिंह
9. मनोज पुत्री लीलूसिंह नवीरा छतूसिंह
10. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री छतूसिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा
11. मुन्नी पत्नी जगरूप सिंह
12. बलवीर सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह निवासी चितौसा
13. गुडडी उर्फ अनिता पुत्री जगरूप सिंह नवीरा माडूसिंह निवासी चितौसा
14. भागोडी उर्फ सुनिता पुत्री जगरूप सिंह नवीरा माडूसिंह निवासी चितौसा
15. लाली उर्फ सुमन पुत्री जगरूप सिंह नवीरा माडूसिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा
16. बिमला पत्नी मुन्शीसिंह
17. दलीप सिंह पुत्र श्री मुन्शीसिंह
18. अन्नू पुत्री मुन्शी सिंह
19. संजय पुत्र रिछपाल
20. मंजू पुत्री रिछपाल नवीरा मालसिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा तह. बुहाना
21. राजकुमारी पत्नी मोहन सिंह
22. विजय सिंह
23. श्रवण सिंह पुत्रान मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी चितौसा तह. बुहाना
24. रामनिवास पुत्र श्री ख्यालीराम जाति अहीर निवासी पुहानिया
25. संदीप पुत्र श्री ख्यालीराम जाति अहीर निवासी पुहानिया तह. बुहाना
26. लैण्ड होल्डर एवं तहसीलदार भू– अभिलेख बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वाद पत्र स.39/2019
जगदीश आदि बनाम कैलाश देवी आदि
निर्णय दिनांक 18.10.22

दावा – घोषणात्मक , स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती।

वादीगण की ओर से **श्री राजेश कुमार यादव एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 18.10.22...... को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कि वाके ग्राम चितोसा तहसील बुहाना स्थित भूमी ख.न. 170 रकबा 0.90 रकबा ख.न. 171 रकबा 0.36 हैक्टर ख.न. 307 रकबा 0.93 हैक्टर ख.न.308 रकबा 0.94 हैक्टर किता 4 रकबा 3.13 हैक्टर में वादीगण को प्रतिवादी स. 11 लगायत 15 के स्थान पर 85/780 अर्थात् 17/156 हिस्सा का खातेदार घोषित कर अनिता , सुनिता , सुमन पुत्री जगरूप सिंह एवं मुन्नी देवी पत्नि जगरूप सिंह , बलवीर पुत्र जगरूप सिंह का नाम हजफ कर रिकॉर्ड दुरूस्त कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:01 IST
Reason: SelfAttested